03/11/14 पत्रावली मूल वाद द्वारा छिद्रा कालोनी जाने पर प्रस्तुत हुई। इसमें मूल वाद वादी द्वारा छिद्रा कालोनी जो चुका है इसलिये अपील खारिज करने योग्य नहीं है। लिहाजा अपील छेड़ जाने योग्य है। अतः अपील खारिज छेड़ जाने के आदेश दिये जाते है। नियम कोलाज शुल्क वापस नकल के रूप दी।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

भागचन्द
पहचानकर्ता
3/11/14